

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

सं०- 10/निजी-01-1127/25-

पटना/दिनांक-

श्रीमती अमृता सिन्हा (आई०डी०-5787), सहायक निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना का दिनांक-20.06.2026 से दिनांक-15.10.2026 तक कुल-118 (एक सौ अठारह) दिनों के अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम 220(A) के तहत शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1593(21)दिनांक-10.11.2025 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता के आलोक में 118 (एक सौ अठारह) दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्रीमती सिन्हा के अवकाश लेखा में कुल-612 (छः सौ बारह) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश आदेय है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(सरफराज अहमद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1127/25-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-PCFC/IRR/BES/2022/1828-1593(21) दिनांक-10.11.2025 एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के पत्रांक-1215 दिनांक-25.07.2024 के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1127/25-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1127/25-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना को विभागीय पत्रांक-3186 दिनांक-14.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1127/25-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- श्रीमती अमृता सिन्हा (आई०डी०-5787), सहायक निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1127/25-

2709

पटना/दिनांक- 18/06/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)।